

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक :- प.4(129)वित्त-1(1)आय.व्य/2018

जयपुर, दिनांक : 27/11/2019

स्वीकृति संख्या 409/2019-20

कोषाधिकारी
उदयपुर (राज.)

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास, उदयपुर के P.D. A/c में राशि रूपये 5180.00 लाख (अक्षरे रूपये इक्यावन करोड़ अस्सी लाख) मात्र के हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर के द्वारा जारी निम्नांकित स्वीकृतियों में अंकित शर्तों के अनुसार, आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के निजी निक्षेप खातों में कुल राशि रूपये 5180.00 लाख (अक्षरे रूपये इक्यावन करोड़ अस्सी लाख) मात्र निम्नानुसार अंकित बजट मदों के अन्तर्गत हस्तान्तरित कर दी जावें।

मांग संख्या - 30

राशि रूपये लाखों में

क्रम संख्या	बजट मद	स्वीकृति संख्या	राशि (केन्द्रीय सहायता)
1.	4225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02 - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 796 - जनजातिय क्षेत्र उपयोजना (09) - उपयोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य (वि.के.स.) [01] - जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण 17 - वृहद निर्माण कार्य	क्रमांक-एफ.6/लेखा/सी.टी.ए.डी/ वि.के.स /प्रस्ताव /2019-20/स्वी.सं. ✓ 39/2019-20/दिनांक 08.11.2019	400.00
	[02] - नहरों का सुदृढीकरण 17 - वृहद निर्माण कार्य	40/08.11.2019	300.00
	[03] - जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं बन्द पड़ी जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का पुनरुत्थान 17 - वृहद निर्माण कार्य	41/08.11.2019	500.00
	(11) - संविधान अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.) [01] - आश्रम एवं छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण 17 - वृहद निर्माण कार्य	क्रमांक-एफ.6/लेखा/सी.टी.ए.डी/275(1)प्रस्ताव /2019-20/स्वी.सं. 16-17/2019-20 06.11.2019	300.00

कमरा नं. 5137, वित्त (आय-व्ययक) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-302005
दूरभाष नं. 0141-5153222 आई.पी. नं.-24452, फैक्स नं. 0141-2227799
website : www.finance.rajasthan.gov.in, e-mail : fdbudget@rajasthan.gov.in

[02] – अभियांत्रिकी महाविद्यालय भवन का निर्माण एवं नवीनीकरण 17 – वृहद निर्माण कार्य	<u>18 / 2019–20</u> 06.11.2019	100.00
[05] – हैन्ड पम्प स्थापना सहित पेयजल योजनाएं 17 – वृहद निर्माण कार्य	<u>19 / 2019–20</u> 06.11.2019	250.00
[07] – सामुदायिक भवनों का निर्माण 17 – वृहद निर्माण कार्य	<u>20 / 2019–20</u> 06.11.2019	100.00
[11] – खेल छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण 17 – वृहद निर्माण कार्य	<u>21 / 2019–20</u> 06.11.2019	275.00
[13] – एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों की मरम्मत एवं रखरखाव 17 – वृहद निर्माण कार्य	<u>22–23 / 2019–20</u> 06.11.2019	1000.00
[14] – राजकीय शैक्षणिक संस्थाओं में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण 17 – वृहद निर्माण कार्य	<u>24 / 2019–20</u> 06.11.2019	175.00
[17] – राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त निर्माण कार्य 17 – वृहद निर्माण कार्य	<u>25–26 / 2019–20</u> 06.11.2019	250.00
[18] – टी.ए.डी. भवनों का निर्माण विस्तार एवं नवीनीकरण 17 – वृहद निर्माण कार्य	<u>27 / 2019–20</u> 06.11.2019	100.00
[20] – धारा 275(1) अन्तर्गत मां बाड़ी केन्द्रों का निर्माण, सुविधाओं का विस्तार एवं नवीनीकरण 17 – वृहद निर्माण कार्य	<u>29–30 / 2019–20</u> 06.11.2019	480.00
(14) – माड़ा कलस्टर क्षेत्र में पूंजीगत कार्य [01] – जनजाति बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोड़ना 17 – वृहद निर्माण कार्य	क्रमांक-एफ.6/लेखा/सी.टी ए.डी/वि.के.स/प्रस्ताव / 2019–20 / स्वी.सं. <u>51 / 2019–20</u> 08.11.2019	5.00
(16) – बिखरी जनजाति क्षेत्र में पूंजीगत कार्य (वि.के.स.) [04] – बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोड़ना 17 – वृहद निर्माण कार्य	<u>56 / 2019–20</u> 08.11.2019	100.00
(17) – माड़ा क्षेत्र में पूंजीगत कार्य (वि.के.स.) [03] – जनजाति बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोड़ना 17 – वृहद निर्माण कार्य	<u>48 / 2019–20</u> 08.11.2019	100.00
(24) – जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास हेतु पूंजीगत निर्माण कार्य (वि.के.स.) [01] – जनजाति बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोड़ना 17 – वृहद निर्माण कार्य	<u>42 / 2019–20</u> 08.11.2019	525.00

[02] – टी.ए.डी भवनो का निर्माण विस्तार एवं नवीनीकरण 17 – वृहद निर्माण कार्य	43/2019-20 08.11.2019	200.00
(25) – सहरिया विकास हेतु पूंजीगत निर्माण कार्य (वि.के.स.) [02] – बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोड़ना 17 – वृहद निर्माण कार्य	58/2019-20 08.11.2019	20.00
योग		5180.00

(अक्षरे रूपये इक्यावन करोड़ अस्सी लाख मात्र)

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिये राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा तत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

भवदीय,
W. S. Singh
(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
3. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
4. ✓ संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
5. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

W. S. Singh
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)